(5)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सं. भाविप्राईडीसीएए/2019/रोलआउट/परिपत्र/1

02 मार्च, 2020

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिम/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
नई दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उड़ान निरीक्षण एकक/ रेडियो निर्माण एवं विकास एकक
नई दिल्ली

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ने.सु.च.बो. हवाईअड्डा/चेन्नई हवाई अड्डा
कोलकाता/चेन्नई

निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो/बी एवं यांत्रिक कार्यशाला
नई दिल्ली

प्राचार्य
सीएटीसी प्रयागराज

भाविप्रा ईडीसीपी परिपत्र सं 2

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के अंतर्गत भा.वि.प्रा कर्मचारी की निर्धारित संरक्षण पेंशन योजना में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के तहत राहत प्राप्त करने के लिए।

महोदय,

यह सभी संबंधितों के ध्यान में लाना है कि ईडीसीपी योजना को भाविप्रा द्वारा शुरू किया गया है। योजना के तहत पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया गया है। वार्षिकी योजनाओं के तहत दी जाने वाली योजना और विभिन्न नीतियों के संबंध में प्रस्तुति संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा क्षे.मु/नि.मु स्तर पर की गई है। वर्तमान में कॉर्पस राशि जारी करने से पहले, लागू टीडीएस की वसूली लागू आयकर कानून के अनुसार की जानी है। उसका विवरण इस प्रकार है।

1. <u>योगदान की करदेयता :</u>

आयकर अधिनियम की धारा 17(2)(vii) के अनुसार, निर्धारित के संबंध में नियोक्ता द्वारा स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि में किसी भी योगदान की राशि, उस सीमा तक जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक है (जैसा कि इसके बाद कहा गया है) तो उसे कर्मचारी के अनुलाभ के रूप में माना जाएगा।

वित्तीय वर्ष	कर से मुक्त नियोक्ता योगदान की अधिकतम सीमा।
2006-07 to 2008-09	संपूर्ण योगदान कर से मुक्त
2009-10 to 2015-16	प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये तक
2016-17 to 2019-20	प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक

2. <u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के तहत राहत :</u>

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के अनुसार, जहां एक निर्धारित वेतन की प्रकृति में एक राशि प्राप्त कर रहा है, बकाया या अग्रिम में भुगतान किया जा रहा है या किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिक वेतन की प्राप्ति में है, 12 महीने या एक भुगतान जो धारा 17 के खंड (3) के प्रावधानों के तहत वेतन के बदले लाभ है या क्लॉज (ii) (ए) के स्पष्टीकरण में परिभाषित परिवार पेंशन की प्रकृति में राशि प्राप्त कर रहा है, धारा 5 का बकाया में भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी कुल आय का मूल्यांकन उस दर से अधिक दर पर किया जाता है जिस पर अन्यथा निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इस संबंध में उसके किए गए एक आवेदन पर, राहत के रूप में अनुदान दे सकता है।

3. <u>कर्मचारियों को आयकर अधिनियम, 1961 के 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ई जमा करना।</u>

धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए कर्मचारियों को उनके द्वारा विधिवत प्रमाणित फॉर्म 10ई जमा करना होगा ताकि कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए फॉर्म 10ई के अनुसार सेवानिवृत्ति निधि में योगदान करते समय कर्मचारियों को धारा 89 के तहत उचित राहत प्रदान किया जा सके।

इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारी फॉर्म 10ई (उनके द्वारा विधिवत प्रमाणित) जमा करें, ताकि भाविप्रा को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के तहत राहत प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। कर्मचारी को 17(2)(vii) के तहत छूट का दावा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक फॉर्म 10ई जमा करना होगा।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 89 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 10ई का प्रारूप इसके साथ संलग्न है। यह ध्यान दिया जाए कि फॉर्म 10ई के उद्देश्य के लिए, मार्च 2020 के लिए अनुमानित आय पर फरवरी 2020 के महीने तक की आय के आधार पर विचार किया जाएगा।

4. <u>कर्मचारी फॉर्म 10ई जमा करने में आसफ़ल रहे।</u>

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी फॉर्म 10ई प्रदान करने में विफल रहता है तो भाविप्रा सेवानिवृत्ति निधि में योगदान को चालू वर्ष के योगदान के रूप में माना जाएगा। तदनुसार 89 के तहत राहत प्रदान नहीं किया जाएगा और कर तदनुसार काटा जाएगा।

5. <u>घोषणा</u>

कर्मचारियों को लागू टीडीएस की कटौती के लिए फॉर्म 10ई के साथ लागू होने वाली घोषणा जो लागु है (घोषणा 1 और 2 का प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करना है।

6. <u>जमा करने के लिए घटनाक्रम</u>

सभी पात्र कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 10 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित प्रपत्रों को विधिवत भरकर और संबंधित इकाइयों के साथ हस्ताक्षरित करके जमा करें।

(क)फॉर्म 10ई
(ख)घोषणा
(ग)अनुलग्नक क

धन्यवाद,

भवदीय
ह/-..
(जी एस मोहापात्रा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

संलग्नक : यथोपरि

वितरण :

- उप महाप्रबंधक (ईएस) - अध्यक्ष
- उप महाप्रबंधक (ईएस) सदस्य (मानव संसाधन/वित्त/प्रचालन/योजना/वायु दिकचालन सेवा) / मुख्य सतर्कता अधिकारी
- कार्यपालक निदेशक (वित्त)-II / कार्यपालक निदेशक (वित्त)-I / कार्यपालक निदेशक (मा.सं) / कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)
- महा प्रबन्धक सू.प्रौ -भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। / सभी महाप्रबंधक (मा.सं)
- महासचिव - एएआईओए (आई) /एटीसी (गिल्ड) / भाविप्रा अभियांत्रिकी गिल्ड आईओ/ आईएएआईओए /एएईयु /भाविप्रा अनुजाती/ जनजाती एसोसियेशन।

<u>घोषणा 1</u>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10ई में दी गई जानकारी सत्य और सही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा जमा किए गए आयकर रिटर्न के अनुसार है। यदि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या गलत साबित होती है, तो परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा।

इसके अलावा, मैं भाविप्रा को अंशदान की राशि से अनुमोदित सेवानिवृत्ति पेंशन फंड (भाविप्रा ईडीसीपी ट्रस्ट) में योगदान से संबंधित लागू कर की कटौती करने और भाविप्रा ईडीसीपी ट्रस्ट में निवल राशि जमा करने के लिए भी अधिकृत करता हूं।

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम:

पदनाम:

ईआरपी-एसएपी कर्मचारी सं

पी एफ आई डी :

संलग्नक : सहायक दस्तावेज़ों के साथ फार्म 10ई

घोषणा 2

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10ई जमा नहीं करूंगा और भाविप्रा को योगदान की राशि से अनुमोदित सेवानिवृत्ति पेंशन फंड में योगदान से संबंधित कर की कटौती करने के लिए अधिकृत करता हूं और निवल राशि भाविप्रा ईडीसीपी ट्रस्ट में जमा करता हूं।

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम:

पदनाम:

ईआरपी-एसएपी कर्मचारी सं

पी एफ आई डी :

अनुलग्नक क

आयकर अधिनियम के 89(1) के तहत भाविप्रा ईडीसीपी ट्रस्ट योगदान की गणना के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण।

नाम:

ईआरपी-एसएपी कर्मचारी सं :

पी एफ आई डी :

वित्तीय वर्ष	वर्ष	कुल कर योग्य आय (आईटीआर फार्म)	शिक्षा उपकर सहित कर (आईटीआर फार्म)	भाविप्रा ईडीसीपी अंशदान
2006-07	2007-08			
2007-08	2008-09			
2008-09	2009-10			
2009-10	2010-11			
2010-11	2011-12			
2011-12	2012-13			
2012-13	2013-14			
2013-14	2014-15			
2014-15	2015-16			
2015-16	2016-17			
2016-17	2017-18			

2017-18	2018-19			
2018-19	2019-20			
2019-20 (अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किया जाना हैं।)	2020-21			

*भाविप्रा ईडीसीपी अंशदान डाटा नोडल अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम:

पदनाम:

ईआरपी-एसएपी कर्मचारी सं

पी एफ आई डी :

प्ररूप सं. 10ङ

[नियम 21कक *देखिए*]

किसी सरकारी सेवक या किसी [कंपनी, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संगम या निकाय] में किसी कर्मचारी द्वारा धारा 89(1) के अधीन राहत का दावा करने के लिए, धारा 192(2क) के अधीन 31 मार्च, 20.... को समाप्त हुए वर्ष की आय की विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

1. कर्मचारी का नाम और पता .....

2. [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] .....

3. निवास की प्रास्थिति .....

निर्धारण वर्ष.....से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान आय की वे विशिष्टियां, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 21क में निर्दिष्ट हैं

1. (*क*) नियम 21क के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त वेतन — *रुपए* .....

(*ख*) नियम 21क के उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार पूर्व सेवाओं के, जो 5 वर्ष की अवधि से कम नहीं हैं, संबंध में उपदान की प्रकृति का संदाय .....

(*ग*) नियम 21क के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् या जहां नियोजन की अवधि का अनवसित भाग 3 वर्ष से कम का नहीं है, नियोजन में या नियोजन समाप्त करने के संबंध में नियोजक या पूर्व नियोजक से प्रतिकर की प्रकृति का संदाय .....

(*घ*) नियम 21क के नियम (5) के उपबंधों के अनुसार पेंशन के संराशिकरण का संदाय .....

2. ऊपर निर्दिष्ट संदायों की विशिष्टियों के ब्यौरे, यथास्थिति, उपाबंध 1, 2, 2क, 3 या 4 में दिए जा सकते हैं।

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ...यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

तारीख.....को सत्यापित किया गया।

स्थान..... .....

तारीख..... *कर्मचारी के हस्ताक्षर*

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उपाबंध 1

[प्ररूप सं. 10ङ की मद 2 *देखिए*]

बकाया या अग्रिम वेतन

1. कुल आय (बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन को छोड़क ....

2. बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किया गया वेतन ....

3. कुल आय (बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त वेतन से बढ़ी हुई) ....
(मद 1 और 2 को जोड़े)

4. कुल आय पर कर (मद 3 के अनुसार) ....

5. कुल आय पर कर (मद 1 के अनुसार) ....

6. बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन पर कर ....
(मद 4 और मद 5 का अंतर) ....

7. सारणी 'क' के अनुसार संगणित कर ....
(सारणी 'क' के स्तंभ 7 से अग्रनीत) ....

8. धारा 89(1) के अधीन राहत ....
[मद 6 और 7 के सामने उल्लिखित रकमों की बीच के अंतर को दर्शाएं] ....

सारणी 'क'

[उपाबंध 1 की मद 7 *देखिए*]

पूर्व वर्ष	*सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय (रु.)*	*स्तंभ (1) में उल्लिखित रूप में सुसंगत पूर्व वर्ष के संबंध में बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किया गया वेतन (रु.)*	*स्तंभ (1) में उल्लिखित रूप में सुसंगत पूर्व वर्ष के संबंध में (बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन द्वारा बढ़ी हुई) कुल आय [स्तंभ (2) और (3) को जोड़ें] (रु.)*	*कुल आय पर कर [स्तंभ (2) के अनुसार] (रु.)*	*कुल आय पर कर [स्तंभ (4) के अनुसार] (रु.)*	*कर में अंतर [स्तंभ 6 के अधीन वर्णित रकम में से स्तंभ (5) के अधीन वर्णित रकम घटाएं] (रु.)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

टिप्पण : इस सारणी में, भिन्न-भिन्न पूर्ववर्षो के संबंध में बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन के ब्यौरे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उपाबंध 2

[प्ररूप सं. 10ङ की मद 2 *देखिए*]

पांच वर्ष या उससे अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम की अवधि तक विस्तारित पूर्व सेवाएं

1. प्राप्त किया गया उपदान .....

2. कुल आय (उपदान सहित) .....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर .....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर .....

[मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] .....

5. कर की औसत दर लागू करके उपदान पर संदेय कर .....

[मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] .....

6. उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उपदान प्राप्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्ववर्षों की कुल आय (*i*) .....
(*ii*) .....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित दो पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की आधी रकम जोड़ें (*i*) .....
(*ii*) .....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर (*i*) .....
(*ii*) .....

9. दो पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित उपदान की आधी रकम जोड़कर बढ़ाई गई हो (*i*) .....
(*ii*) .....

[मद 8(*i*) और 8(*ii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*) और 7(*ii*) के सामने उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] .....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत .....

[मद 9(*i*) और (*ii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़ें और इसे 2 से विभाजित करें] .....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके उपदान पर संदेय कर .....

[मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] .....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत .....

[मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] .....

उपाबंध 2क

[प्ररूप सं. 10ङ की मद 2 *देखिए*]

पन्द्रह वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक विस्तारित पूर्व सेवाएं

1. प्राप्त किया गया उपदान .....

2. कुल आय (उपदान सहित) .....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर .....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर .....

   [मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] .....

5. कर की औसत दर लागू करके उपदान पर संदेय कर .....

   [मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] .....

6. उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उपदान प्राप्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की कुल आय (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की एक तिहाई रकम जोड़ें (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

9. तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित उपदान की एक-तिहाई रकम जोड़कर बढ़ाई गई, हो (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

   [मद 8(*i*), 8(*ii*) और 8(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*), 7(*ii*) और 7(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] .....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत .....

    [मद 9(*i*) से (*iii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़ें और उसे 3 से विभाजित करें] .....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके उपदान पर संदेय कर .....

    [मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] .....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत .....

    [मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] .....

उपाबंध 8

नियोजन की समाप्ति पर प्रतिकर

शर्त : तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् और जहां नियोजन की अवधि का समाप्त न हुआ भाग भी तीन वर्ष से कम न हो

1. प्राप्त किया गया प्रतिकर .....

2. कुल आय (प्रतिकर सहित) .....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर .....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर .....

[मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] .....

5. कर की औसत दर लागू करके प्रतिकर पर संदेय कर .....

[मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित प्रतिकर की रकम से गुणा करें] .....

6. उस पूर्व वर्ष के, जिसमें प्रतिकर प्राप्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों की कुल आय (*i*) .....

(*ii*) .....

(*iii*) .....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित प्रतिकर की एक-तिहाई रकम जोड़ें (*i*) .....

(*ii*) .....

(*iii*) .....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर (*i*) .....

(*ii*) .....

(*iii*) .....

9. तीन पूर्ववर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित प्रतिकर की एक-तिहाई रकम जोड़कर बढ़ाई गई हो (*i*) .....

[मद 8(*i*), 8(*ii*) और 8(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*), 7(*ii*) और 7(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] (*ii*)

(*iii*) .....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत .....

[मद 9(*i*) से (*iii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़े और इसे तीन से विभाजित करें] .....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके प्रतिकर पर संदेय कर .....

[मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित प्रतिकर की रकम से गुणा करें] .....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत .....

[मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] .....

उपाबंध 4

पेंशन का संराशीकरण

1. पेंशन के संराशीकरण में प्राप्त की गई रकम .....

2. कुल आय (पेंशन के संराशीकरण की रकम सहित) .....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर .....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर .....

   [मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] .....

5. कर की औसत दर लागू करके पेंशन के संराशीकरण की रकम पर संदेय कर .....

   [मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित पेंशन के संराशिकरण की रकम से गुणा करें] .....

6. उस पूर्ववर्ष के, जिसमें पेंशन के संराशीकरण की रकम प्राप्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय
   (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित पेंशन के संराशीकरण की एक-तिहाई रकम जोड़ें
   (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर
   (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....

9. तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित पेंशन के "संराशीकरण" की एक-तिहाई रकम जोड़कर बढ़ाई गई हो
   (*i*) .....
   (*ii*) .....
   (*iii*) .....
   [मद 8(*i*), 8(*ii*), और 8(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*), 7(*ii*) और 7(*iii*) में उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] .....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत .....

    [मद 9 (*i*) से (*iii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़ें और उसे तीन से विभाजित करें] .....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके पेंशन के संराशीकरण की रकम पर संदेय कर .....

    [मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित पेंशन के संराशीकरण की रकम से गुणा करें] .....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत .....

    [मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] .....